

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौल

दिनांक	फर्द अहकाम
<p><u>02/12/25</u></p>	<p>पत्रावली पेश हुई वकुलम्प फरीकत उपखण्ड                      जाफर 07-22 R-4 एफडीए धारा 15/CP                      पेश दि० 8/4/2025 को किया गया। पत्रावली                      वास्तु जवाब जवाब व वदम दि०                      9/12/25 को पेश हो।</p>
<p><u>9/12/25</u></p>	<p>पत्रावली पेश हुई वकुलम्प फरीकत उपखण्ड                      पत्रावली वास्तु जवाब व वदम इ०                      दि० 23/12/25 को पेश हो।</p>
<p><u>23/12/25</u></p>	<p>पत्रावली पेश हुई वकुलम्प फरीकत उपखण्ड।                      वकुलम्प फरीकत की वदम सुनी गई। जाफर                      07-22 R-4 CP स्वीकार किया जाता है। वक्त                      जाफर रेस्टोरेशन पर नदम सुनी गई तथा                      पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन                      किया। प्रार्थीगण का जाफर रेस्टोरेशन                      एफडीए स्वीकार किया जाता है। मु० नं० 73/2003                      उनवानी रामौली व अन्य वनाम रामाबिलाडी                      व अन्य को रिकार्ड पर लिपे जाने के को डेरा                      किया जाते हैं। मूल पत्रावली जिला रिकार्ड                      रुम करौली से तलव की जावे। मूल दावा                      में संशोधित राईटल पेश किया जावे। प्रतिका                      सं० 5/1 व 5/5 की मूल दावा में तलव की                      जावे। पत्रावली वास्तु मूल पत्रावली                      तलव की जाकर दि० 27/02/26 को                      पेश हो।                      को डेरा खुले न्यायालय में हुगादा                      गदा/</p>